

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5696 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2018

II-14-100/18

श्री लोकेन्द्र जैन, शीघ्रलेखक उच्च न्यायालय, खंडपीठ-ग्वालियर को दिनांक 20.08.18 से 18.09.18 तक 30 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 19.09.18 से 09.10.18 तक 21 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5697 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2018

II-14-100/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (M0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5817/स्था. ग्वालियर दिनांक 29/11/2018 के संदर्भ में श्री लोकेन्द्र जैन, शीघ्रलेखक का आवेदन पत्र, अवकाश लेखा मूलतः एवं सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.



:-:-